

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर ।
क्रमांक-प्रशिक्षण/ज0न0/2011/ दिनांक-

- संशोधन आदेश -

निदेशालय के आदेश क्रमांक-प्रशि/जीएनएम/जी-88/11/1722-25 दिनांक 16-8-2011 द्वारा जारी राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल्स एवं उनकी प्रवेश हेतु सीटों की संख्या को राज्य सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के इस निदेशालय की एकल पत्रावली पर आई0डी0 संख्या 3085/एम/एमएण्डएच/11 दिनांक 23-8-2011 के अनुसरण में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है -

क्र0सं0	नाम जी0एन0एम0स्कूल	प्रवेश हेतु सीटें
1.	संलग्न चिकित्सालय संघ जयपुर	60
2.	संलग्न चिकित्सालय संघ बीकानेर	60
3.	संलग्न चिकित्सालय संघ जोधपुर	60
4.	संलग्न चिकित्सालय संघ उदयपुर	60
5.	संलग्न चिकित्सालय संघ अजमेर	60
6.	संलग्न चिकित्सालय संघ कोटा	60
7.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर	60
8.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सीकर	60
9.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भरतपुर	60
10.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भीलवाडा	60
11.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर	60
12.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जालौर	60
13.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पाली	60
14.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी श्री गंगानगर	60
15.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बांसवाडा	60

क्रम संख्या 15 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बांसवाडा राजकीय जी0एन0एम0 स्कूल की 100 प्रतिशत सीटें जनजातिय उपायोजना क्षेत्र के जनजातिय अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है ।

अति0निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक-प्रशिक्षण/ज0न0/2011/1816
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

दिनांक- 24. 8. 2011

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय चि0 एवं स्वा0 विभाग राज0 जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री महोदय चि0 एवं स्वा0 विभाग राज0 जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0 विभाग राज0 जयपुर ।
4. उप शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0 (ग्रुप-3) विभाग राज0 जयपुर ।
5. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सा संघ/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ।
6. रजिस्ट्रार, राज0 नर्सिंग कौंसिल जयपुर ।
7. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु ।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली ।

अति0निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर